संख्या-133/2021/ई-1912351/71-3-2021-12/2020

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 02 नवम्बर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर के 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/580, दिनांक 28.10.2021 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त 07 मेडिकल कालेजों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख (पृथक-पृथक प्रत्येक हेतु) की धनराशि शासनादेश दिनांक 30.04.2021 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में उक्त मेडिकल कालेजों हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कालेज का नाम	लेखाशीर्षक	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	मेडिकल कालेज, देवरिया	2210-05-105-03-0353	83.33
2	मेडिकल कालेज, फतेहपुर	2210-05-105-03-0351	83.33
3	मेडिकल कालेज, गाजीपुर	2210-05-105-03-0354	83.33
4	मेडिकल कालेज, हरदोई	2210-05-105-03-0349	83.33
5	मेडिकल कालेज, मीरजापुर	2210-05-105-03-0355	83.33
6	मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़	2210-05-105-03-0350	83.33
7	मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	2210-05-105-03-0352	83.33

1. स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. प्रधानाचार्य/वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) से कराये जाने वाले कार्यों/व्यय की मदों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे और सर्वप्रथम आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन के मानदेय पारिश्रमिक की मदों हेतु धनराशि का/ आहरण करेंगे। उक्त के पश्चात् व्यय की अन्य मदों में विद्युत , जलकर , भवन कर , औषधि , टेलीफोन आदि के व्यय जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए आहरण करेंगे।

3- उक्त के अतिरिक्त 20-सहायता अनुदान(गैर वेतन) सामान्य- मद तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में सम्बन्धित वित्त नियंत्रकों को कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न बैठकों में निर्देश दिये गये है। दिये गये निर्देशानुसार सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। इन सूचनाओं में विगत 03 वर्षों का विवरण विशेषकर आउटसोर्स आफ सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। प्रश्नगत मद में आगामी किश्त के प्रस्ताव के साथ अपेक्षित सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-525/दस-2021, दिनॉक 02 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-133/2021/ई-1912351(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।